# Form No. III

# फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

**मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा** बनाम **भंवरदास**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** नं0 **194** सन् **2022**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14.09.2022 | अधिवक्ता सीएम जणवा के निवेदन पर पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अमित नाहर हाजिर। पूर्व में अप्रार्थी की और से अधिवक्ता सीएम जणवा ने अधिकार पत्र एवं प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरे हक व हिस्से की मुआवजा राशि मेरी पारिवारिक निजी आवश्यकता होने से प्राप्त करना चाहता हूँ अब वर्तमान में मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड एवं मुझ प्रार्थी के मध्य उपरोक्त मुआवजा राशि को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थी हाजिर। प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। हाजिर वकील प्रार्थी ने मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी को कराये जाने की किसी भी प्रकार का उज्र नहीं होना जाहिर किया है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना का चिंतन–मनन किया। अप्रार्थी संख्या 1 निर्धारित मुआवजा राशि में स<br>अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022/546 दिनांक 20.04.2022 से प्राप्त अप्रार्थी संख्या 1 भंवरदास पिता भैरूदास जाति बैरागी निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा के नाम पर जारी चैक संख्या 017017 दिनांक 12.01.2022 तादादी रूपये 477358/– अक्षरे चार लााख सत्तर हजार तीन सौ अठावन रूपये मात्र का चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को अप्रार्थी भंवरदास पिता भैरूदास जाति बैरागी निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा को वास्ते भुगतान भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करे। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त किये जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>-S/d-<br>(अरविन्द कुमार पोसवाल)<br>जिला कलक्टर,<br>चित्तौड़गढ़<br>14.09.2022<br><br>सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official | |